

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 30.3. 2016

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 5,12,44,000/- (पाँच करोड़ बारह लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 5,12,44,000/- (पाँच करोड़ बारह लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
9. इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2070001150003 है।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
12. मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 2016

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 5,12,44,000/- (पाँच करोड़ बारह लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-N2070001150003) के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में कुल ₹ 5,12,44,000/- (पाँच करोड़ बारह लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित किया जाता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2070001150003 है।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
- मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 30-3-2016

ज्ञापक-5/बजट 1-09/2015 सा0-.....98..... /

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प  
2-13

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना बजट (विपत्र कोड N2070001150003) का आवंटन

क्र० सं०	जिला का नाम	सामग्री एवं पूर्तियां	किराया महसूल एवं कर	वदी/पोशाक	विद्युत प्रभार	कार्यालय व्यय	दूरभाष	यात्रा व्यय	मशीनें एवं उपस्कर	व्यावसायिक विशेष सेवाएँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बांका	8,00,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00,000
2	बक्सर	20,00,000	-	-	2,00,000	2,00,000	10,000	-	20,000	-	24,30,000
3	मुजफ्फरपुर	15,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	15,20,000
4	सारण	20,00,000	1,02,000	-	-	50,000	-	-	20,000	-	21,72,000
5	अरवल	8,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	8,20,000
6	रोहतास	15,00,000	-	-	5,00,000	-	-	-	20,000	-	20,20,000
7	पूर्णिया	12,00,000	-	-	2,00,000	-	-	10,000	20,000	-	14,30,000
8	सीतामंठी	12,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	12,30,000
9	पटना	40,00,000	-	2,000	5,00,000	-	-	-	20,000	-	45,22,000
10	औरंगाबाद	8,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	8,20,000
11	पूँ चम्पारण	12,00,000	5,00,000	10,000	3,50,000	5,000	20,000	-	20,000	-	21,05,000
12	दरभंगा	12,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	12,30,000
13	कटिहार	10,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	10,30,000
14	मधेपुरा	2,00,000	-	-	2,60,000	3,00,000	20,000	10,000	20,000	-	8,10,000
15	मधुबनी	15,00,000	-	-	2,00,000	-	-	10,000	20,000	-	17,30,000
16	पँ चम्पारण	10,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	10,30,000
17	सहरसा	10,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	10,30,000
18	शिवहर	8,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	8,20,000
19	सुपौल	8,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	8,30,000
20	बेगूसराय	3,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	3,20,000
21	नालंदा	20,00,000	-	20,000	5,00,000	25,000	-	-	40,000	-	25,85,000
22	गया	30,00,000	-	20,000	5,00,000	50,000	-	-	20,000	1,50,000	37,40,000
23	अररिया	5,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	5,30,000
24	कैमूर	10,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	10,30,000
25	भागलपुर	15,00,000	-	10,000	30,000	2,00,000	10,000	10,000	20,000	-	17,80,000
26	भोजपुर	25,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	25,20,000
27	जहानाबाद	10,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	10,20,000
28	किशनगंज	8,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	8,30,000
29	लखीसराय	8,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	8,20,000
30	मुंगेर	10,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	10,30,000
31	समस्तीपुर	15,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	15,30,000
32	वैशाली	10,00,000	-	-	-	-	5,000	-	20,000	-	10,25,000
33	गोपालगंज	3,00,000	-	-	-	2,10,000	5,000	10,000	20,000	-	5,45,000
34	जमुई	5,00,000	-	20,000	-	-	-	10,000	20,000	-	5,50,000
35	खगड़िया	8,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	8,30,000
36	नवादा	8,00,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-	8,20,000
37	शेखपुरा	5,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	5,30,000
38	सिवान	8,00,000	-	-	-	-	-	10,000	20,000	-	8,30,000
	कुल योग-	4,51,00,000	6,02,000	82,000	32,40,000	10,40,000	70,000	2,00,000	7,60,000	1,50,000	5,12,44,000

(पाँच करोड़ बारह लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव